



बालिका शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक समीक्षात्मक अध्ययन

ब्यूटी सिंह*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, बी डी एम एम यू महिला महाविद्यालय, शिकोहाबाद (शोधछात्रा, डॉ बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा) Email-beautysingh1093@gmail.com

प्रो. संजय यादव**

**प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

Paper Received On: 20 MAR 2026

Peer Reviewed On: 24 APRIL 2026

Published On: 01 MAY 2026

Abstract

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस नीति में समावेशी, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें बालिका शिक्षा को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है। प्रस्तुत शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में बालिका शिक्षा की संभावनाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि नई शिक्षा नीति बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति, समान अवसर, विद्यालयी सहभागिता तथा महिला सशक्तिकरण को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है।

इस अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शोध पत्रों, पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों एवं संबंधित साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में Gender Inclusion Fund, समावेशी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा विद्यालय त्याग दर को कम करने जैसे अनेक प्रावधान बालिका शिक्षा को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीति बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर बल देती है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

यद्यपि नीति में बालिका शिक्षा के विकास हेतु अनेक सकारात्मक प्रावधान किए गए हैं, तथापि सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक असमानता, डिजिटल विभाजन, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियाँ इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं (मंगल, 2012)। अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, किन्तु इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सामाजिक जागरूकता, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं आधारभूत शैक्षिक सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक अवसर

प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का आधार मानी जाती है। यह व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्यों तथा सामाजिक चेतना से संपन्न बनाकर उसे एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में विकसित करती है। शिक्षा केवल

साक्षरता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला भी है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की शैक्षिक स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए शिक्षा को मानव संसाधन विकास का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है (राधाकृष्णन, 1948)।

समाज के समग्र विकास में स्त्री एवं पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। यदि समाज की आधी आबादी अर्थात् बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। बालिका शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह परिवार, समाज एवं राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। एक शिक्षित बालिका अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ परिवार के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं सामाजिक मूल्यों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है (मंगल, 2012)। इसी कारण यह कहा जाता है कि यदि एक बालिका शिक्षित होती है, तो उसका प्रभाव सम्पूर्ण परिवार एवं समाज पर पड़ता है।

भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होने के बावजूद लैंगिक असमानता आज भी एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत जबकि महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत दर्ज की गई, जो स्पष्ट रूप से शैक्षिक असमानता को दर्शाती है (भारत सरकार, 2011)। ग्रामीण क्षेत्रों में यह असमानता और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहाँ सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक विषमताएँ, बाल विवाह, सुरक्षा संबंधी समस्याएँ तथा अभिभावकों की अशिक्षा बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं (पंत, 1995)। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यालय त्याग (Dropout) की समस्या भी बालिका शिक्षा की एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, समान, गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारोन्मुख बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिका शिक्षा, लैंगिक समानता तथा समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। नीति में Gender Inclusion Fund, विद्यालय त्याग दर में कमी, सुरक्षित एवं समावेशी विद्यालयी वातावरण, डिजिटल शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा जैसे अनेक प्रावधान किए गए हैं, जो बालिका शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह स्वीकार करती है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों, विशेष रूप से बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। नीति में बालिकाओं की शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। तथापि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं।

अतः प्रस्तुत शोध-पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में बालिका शिक्षा की संभावनाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि नई शिक्षा नीति बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति एवं महिला सशक्तिकरण में किस सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) भारत की नवीनतम शिक्षा नीति है, जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। यह नीति लगभग 34 वर्षों के पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेने वाली व्यापक एवं परिवर्तनकारी शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समावेशी, बहुआयामी, गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख तथा वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)। यह नीति शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन का माध्यम न मानकर व्यक्तित्व विकास, कौशल विकास तथा राष्ट्र निर्माण का आधार मानती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। नीति में प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE), बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, विद्यालय त्याग दर में कमी, बहुभाषिक शिक्षा, कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा डिजिटल शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह नीति शिक्षा को अधिक लचीला, समग्र एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाने का प्रयास करती है (भारत सरकार, 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) पर बल देना है। नीति में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (Socially and Economically Disadvantaged Groups – SEDGs) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की गई है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)। नीति का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में समानता एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है।

नीति में समान अवसर (Equal Opportunity) की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक एवं बालिका को उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक अथवा लैंगिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयी आधारभूत सुविधाओं के विकास, छात्रवृत्ति योजनाओं, डिजिटल संसाधनों तथा सुरक्षित विद्यालयी वातावरण पर विशेष बल दिया गया है (मंगल, 2012)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु Gender Inclusion Fund की व्यवस्था की गई है। इस निधि का उद्देश्य बालिकाओं एवं अन्य वंचित वर्गों की शिक्षा में आने वाली सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं को कम करना है। इसके माध्यम से राज्यों को ऐसी योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी, जो बालिकाओं की विद्यालयी उपस्थिति, शैक्षिक उपलब्धि तथा निरंतरता को बढ़ावा दें (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)। यह प्रावधान बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण तथा तकनीकी संसाधनों के उपयोग को भी विशेष महत्व दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीति में तकनीकी संसाधनों के समुचित उपयोग पर बल दिया गया है। साथ ही नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण, बहुविषयक शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार को भी प्रोत्साहित किया गया है (भारत सरकार, 2020)।

अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से बालिका शिक्षा, लैंगिक समानता एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में यह नीति नई संभावनाओं को प्रस्तुत करती है। तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सामाजिक जागरूकता, आधारभूत संरचना तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

बालिका शिक्षा की संभावनाएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिका शिक्षा को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। यह नीति केवल शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक विकास को भी प्राथमिकता प्रदान करती है। नीति में लैंगिक समानता, विद्यालयी पहुँच, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास तथा महिला सशक्तिकरण जैसे पक्षों को विशेष महत्व दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नई संभावनाएँ विकसित होती दिखाई देती हैं (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

A. लैंगिक समानता को बढ़ावा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में लैंगिक समानता स्थापित करना है। नीति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक बालक एवं बालिका को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। Gender Inclusion Fund जैसी व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

नीति में विद्यालयी वातावरण को अधिक सुरक्षित, समावेशी एवं संवेदनशील बनाने पर बल दिया गया है, जिससे बालिकाएँ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकें। इससे समाज में लैंगिक असमानता को कम करने तथा महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिल सकती है (पंत, 1995)।

B. विद्यालय त्याग दर में कमी

भारत में विशेष रूप से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के विद्यालय त्याग (Dropout) की समस्या लंबे समय से विद्यमान रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय त्याग दर को कम करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। नीति में विद्यालयों की पहुँच बढ़ाने, आधारभूत सुविधाओं में सुधार, छात्रवृत्ति योजनाओं तथा वैकल्पिक एवं लचीली शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया गया है (भारत सरकार, 2020)।

इसके अतिरिक्त सुरक्षित विद्यालयी वातावरण, स्वच्छ शौचालय, परिवहन सुविधा तथा सामाजिक जागरूकता जैसे उपाय बालिकाओं की विद्यालयी निरंतरता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। नीति का उद्देश्य प्रत्येक बालिका को विद्यालय से जोड़कर उसकी शिक्षा को निरंतर बनाए रखना है।

C. डिजिटल शिक्षा के अवसर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा एवं तकनीकी संसाधनों के उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शिक्षण तथा ई-लर्निंग संसाधनों के माध्यम से बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की संभावना बढ़ी है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)। विशेष रूप से दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए डिजिटल शिक्षा नए अवसर प्रदान कर सकती है।

कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हुई है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बालिकाएँ घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं तथा विभिन्न शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच बना सकती हैं। यद्यपि डिजिटल विभाजन एक चुनौती है, फिर भी तकनीकी संसाधनों का विस्तार बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है (मंगल, 2012)।

D. कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें रोजगारोन्मुख एवं आत्मनिर्भर बनाना है। बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर से ही कौशल आधारित शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है (भारत सरकार, 2020)।

इस प्रकार की शिक्षा बालिकाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो सकती है। सिलाई, कंप्यूटर शिक्षा, उद्यमिता, तकनीकी प्रशिक्षण तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इससे महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा मिलेगा।

E. महिला सशक्तिकरण

शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम मानी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं समान शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाने का प्रयास करती है। शिक्षित महिलाएँ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होती हैं तथा सामाजिक एवं आर्थिक निर्णयों में सक्रिय सहभागिता निभाती हैं (दत्ता एवं कौशिक, 2017)।

नीति में बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने वाले प्रावधान शामिल किए गए हैं। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार होने तथा लैंगिक समानता को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। शिक्षित महिलाएँ परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।

F. ग्रामीण बालिकाओं के लिए अवसर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। नीति के अंतर्गत विद्यालयी आधारभूत सुविधाओं के विकास, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, छात्रवृत्ति योजनाओं तथा स्थानीय भाषा में शिक्षा पर बल दिया गया है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की पहुँच, महिला शिक्षकों की नियुक्ति तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण जैसी व्यवस्थाएँ बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाएँ ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नई संभावनाएँ प्रस्तुत करती है। यदि नीति का प्रभावी एवं समुचित क्रियान्वयन किया जाए, तो यह बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति, सामाजिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है।

बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ

यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, तथापि इनके प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता, सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक विषमताएँ तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएँ आज भी बालिका शिक्षा को प्रभावित कर रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों में ये चुनौतियाँ अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं (पंत, 1995)। बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ निम्नवत् हैं—

A. सामाजिक रूढ़ियाँ

भारतीय समाज में अनेक परम्परागत एवं रूढ़िवादी मान्यताएँ बालिका शिक्षा की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं। अनेक परिवारों में आज भी बालकों की शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि बालिकाओं की शिक्षा को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता प्रदान की जाती है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के कारण बालिकाओं को घरेलू कार्यों एवं पारिवारिक दायित्वों तक सीमित करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है (मंगल, 2012)।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक प्रतिष्ठा, परम्परागत सोच तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण अनेक बालिकाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पातीं। सामाजिक रूढ़ियाँ बालिकाओं की स्वतंत्रता, आत्मविश्वास तथा शैक्षिक अवसरों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

B. आर्थिक असमानता

आर्थिक असमानता बालिका शिक्षा की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में प्रायः बालकों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि बालिकाओं की शिक्षा पर अपेक्षाकृत कम व्यय किया जाता है (श्रीवास्तव, 2014)। सीमित संसाधनों के कारण अनेक बालिकाएँ विद्यालय छोड़ने के लिए विवश हो जाती हैं।

ग्रामीण एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों में बालिकाएँ घरेलू कार्यों, छोटे भाई-बहनों की देखभाल तथा पारिवारिक श्रम में सहयोग के कारण नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पातीं। शिक्षा से जुड़ी अतिरिक्त लागत जैसे पुस्तकें, परिवहन, डिजिटल उपकरण एवं अन्य शैक्षिक संसाधन भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए चुनौती बन जाते हैं।

C. डिजिटल विभाजन

शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है, किन्तु वर्तमान समय में डिजिटल विभाजन (Digital Divide) बालिका शिक्षा की एक गंभीर समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की अनेक बालिकाओं के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट एवं डिजिटल संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 2020)।

कोविड-19 महामारी के दौरान यह समस्या और अधिक स्पष्ट हुई, जब अनेक बालिकाएँ ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह गईं। तकनीकी संसाधनों तक असमान पहुँच के कारण डिजिटल शिक्षा का लाभ सभी बालिकाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है।

D. बाल विवाह

बाल विवाह बालिका शिक्षा की प्रगति में एक गंभीर सामाजिक बाधा है। अनेक ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आज भी कम आयु में बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा बीच में ही रुक जाती है (पाण्डेय, 2006)।

बाल विवाह के कारण बालिकाओं पर पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का बोझ बढ़ जाता है तथा वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। यह समस्या विशेष रूप से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की विद्यालय त्याग दर को प्रभावित करती है।

E. विद्यालयीय आधारभूत सुविधाओं की कमी

अनेक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी बालिका शिक्षा को प्रभावित करता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में पृथक शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सुरक्षित भवन तथा परिवहन सुविधाओं की कमी बालिकाओं की विद्यालयी उपस्थिति को प्रभावित करती है (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 2020)।

माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों की दूरी तथा सुरक्षित परिवहन व्यवस्था का अभाव भी बालिकाओं की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। विद्यालयों में महिला शिक्षकों की कमी भी अनेक अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बनी रहती है।

F. ग्रामीण-शहरी अंतर

भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मध्य शैक्षिक असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएँ, डिजिटल संसाधन तथा विद्यालयी आधारभूत संरचना अपेक्षाकृत बेहतर होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं का अभाव पाया जाता है (जनगणना भारत, 2011)।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक समस्याएँ तथा जागरूकता की कमी बालिका शिक्षा को अधिक प्रभावित करती हैं। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं को अपेक्षाकृत अधिक शैक्षिक अवसर उपलब्ध होते हैं। यह असमानता शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है।

G. नीति क्रियान्वयन की समस्याएँ

यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक सकारात्मक प्रावधान किए गए हैं, तथापि इनके प्रभावी क्रियान्वयन में कई प्रशासनिक एवं संरचनात्मक समस्याएँ विद्यमान हैं। अनेक योजनाएँ एवं नीतियाँ व्यवहारिक स्तर पर अपेक्षित परिणाम प्रदान नहीं कर पातीं (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 2020)।

वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, निगरानी व्यवस्था की कमजोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में शैक्षिक संसाधनों की असमान उपलब्धता भी एक प्रमुख समस्या है।

अतः यह स्पष्ट है कि बालिका शिक्षा के विकास हेतु केवल नीतिगत प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, आर्थिक सहयोग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा प्रभावी प्रशासनिक क्रियान्वयन की भी

आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों का समुचित समाधान किया जाए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है।

चर्चा (Discussion)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल है। नीति में समावेशी शिक्षा, लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, डिजिटल शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को सम्मिलित किया गया है। विशेष रूप से बालिका शिक्षा के संदर्भ में Gender Inclusion Fund, विद्यालय त्याग दर में कमी, सुरक्षित विद्यालयी वातावरण तथा कौशल आधारित शिक्षा जैसे प्रावधान नीति को प्रगतिशील एवं समावेशी बनाते हैं (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 2020)।

यद्यपि नीति के उद्देश्यों एवं प्रावधानों को अत्यंत सकारात्मक माना जा सकता है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। भारतीय समाज में सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ अभी भी व्यापक रूप से मौजूद हैं, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव बालिका शिक्षा पर पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाएँ आज भी लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, आर्थिक अभाव तथा सामाजिक रूढ़ियों जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं (पंत, 1995)। ऐसी परिस्थितियों में केवल नीतिगत प्रावधानों के आधार पर अपेक्षित परिवर्तन प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल शिक्षा एवं तकनीकी संसाधनों के उपयोग पर विशेष बल देती है, किन्तु डिजिटल विभाजन की समस्या इसके प्रभावी क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा बनकर उभरी है। ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की अनेक बालिकाएँ स्मार्टफोन, इंटरनेट एवं डिजिटल उपकरणों तक पर्याप्त पहुँच नहीं रखतीं। परिणामस्वरूप डिजिटल शिक्षा का लाभ सभी बालिकाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है (मंगल, 2012)। इससे यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ाए बिना डिजिटल शिक्षा की अवधारणा पूर्णतः सफल नहीं हो सकती।

नीति में विद्यालय त्याग दर को कम करने तथा बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, किन्तु सामाजिक वास्तविकताओं के कारण इनका प्रभाव सीमित हो सकता है। अनेक परिवारों में आज भी बालिकाओं की शिक्षा की अपेक्षा विवाह को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में बालिकाएँ घरेलू कार्यों एवं पारिवारिक दायित्वों के कारण नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पातीं (श्रीवास्तव, 2014)। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालिका शिक्षा की समस्या केवल शैक्षिक नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक भी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण संभावनाएँ प्रस्तुत करती है, किन्तु इसके लिए व्यापक सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, लैंगिक संवेदनशीलता तथा शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता विकसित किए बिना नीति के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं है। केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना अथवा योजनाएँ लागू करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है (दत्ता एवं कौशिक, 2017)।

इसके अतिरिक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक उत्तरदायित्व, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा आधारभूत संरचना का विकास भी आवश्यक है। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी तथा सुरक्षित परिवहन व्यवस्था का न होना बालिका शिक्षा की प्रगति को प्रभावित करता है। यदि इन व्यावहारिक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो नीति के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक एवं परिवर्तनकारी पहल है, किन्तु इसकी सफलता केवल नीतिगत घोषणाओं पर निर्भर नहीं करती। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सामाजिक जागरूकता, आर्थिक सहयोग, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता तथा लैंगिक समानता पर आधारित सामाजिक वातावरण का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। तभी यह नीति बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, समान एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस नीति में बालिका शिक्षा, लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। नीति के अंतर्गत Gender Inclusion Fund, समावेशी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा विद्यालय त्याग दर को कम करने जैसे अनेक प्रावधान किए गए हैं, जो बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह स्वीकार करती है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों, विशेष रूप से बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। नीति में समान अवसर, सुरक्षित विद्यालयी वातावरण तथा डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष बल दिया गया है। इससे बालिकाओं की विद्यालयी सहभागिता, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है। बालिका शिक्षा के संदर्भ में यह नीति भविष्य की अनेक संभावनाओं को भी प्रस्तुत करती है। डिजिटल शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा एवं रोजगारोन्मुख अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में यह नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो यह महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास की दिशा में व्यापक परिवर्तन ला सकती है (दत्ता एवं कौशिक, 2017)।

यद्यपि नीति में अनेक सकारात्मक प्रावधान किए गए हैं, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। लैंगिक भेदभाव, सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक असमानता, डिजिटल विभाजन तथा बाल विवाह जैसी समस्याएँ बालिका शिक्षा को प्रभावित करती हैं। अतः केवल नीतिगत प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी व्यापक परिवर्तन आवश्यक है (पंत, 1995)।

बालिका शिक्षा को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए समाज, परिवार, विद्यालय तथा सरकार सभी की संयुक्त भूमिका आवश्यक है। अभिभावकों में जागरूकता, समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण, विद्यालयों में सुरक्षित एवं समावेशी वातावरण तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, महिला शिक्षकों की नियुक्ति तथा डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक कदम है। यदि नीति के उद्देश्यों को सामाजिक सहयोग, प्रभावी प्रशासनिक क्रियान्वयन एवं जनजागरूकता के माध्यम से व्यावहारिक रूप दिया जाए, तो यह भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार लाने में सक्षम हो सकती है।

संदर्भ सूची

- अल्तेकर, ए. एस. (1956). *The position of women in Hindu civilization (3rd ed.)*. Motilal Banarsidass.
- भारत सरकार. (2011). *जनगणना 2011: प्राथमिक जनगणना सार. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय।*
- भारत सरकार. (2015). *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: दिशा-निर्देश. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।*
- दत्ता, न., & कौशिक, भ. (2017). *Women empowerment: Dimension, need and hurdles in India*. Department of Education, University of Calcutta.
- गौतम, पी. एल. (2002). *आधुनिक भारत. राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।*
- ग्रोवर, बी. एल., & यशपाल. (1999). *आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन. एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड।*
- मंगल, एस. के. (2012). *शिक्षा मनोविज्ञान. PHI Learning Private Limited.*
- पंत, एन. (1995). *भारत में महिलाओं एवं बालिकाओं की स्थिति. ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन।*
- पाण्डेय, रेखा. (2006). *Muslim women and girls' education: Case study from Hyderabad. Journal of Indian Education.*
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।*
- पूजा, मीना. (2007). *भारत में स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् नारी शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित एम.एड. शोध प्रबंध). बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय।*
- राधाकृष्णन, एस. (1948). *विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।*
- श्रीवास्तव, न. (2014). *प्रारम्भिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (अप्रकाशित शोध प्रबंध). लखनऊ विश्वविद्यालय।*